उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1757 /VII-1/16/24–ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) स्तम्भ–2 के क्रमांक–16 में सोपस्टोन जोड़ते हुए निम्न श्रेणी (सोपस्टोन) की रायल्टी दर ₹ 350.00 प्रति टन तथा उच्च श्रेणी (सोपस्टोन) की रायल्टी ₹ 450.00 प्रति टन तथा द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दर (नियम–22) स्तम्भ–2 के क्रमांक–10 में सोपस्टोन जोड़ते हुए सोपस्टोन हेतु वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दर ₹ 5000.00 प्रति हैक्टेयर तथा तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों), निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें, आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी। इसका पूर्वागामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव